राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4830/2022

राकेश सुमन –अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक संस्कृत शिक्षा, शिक्षा संकूल, जयपुर।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, करणी नगर, नान्ता, कोटा।
4. गंगा सहाय गौतम, वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत) राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, बायतू स्टेशन, बायतू, बाडमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 19.09.2022
आदेश की दिनांक : 18.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक

समक्षः– मातादीन शर्मा, सदस्य
एम.एस.काला, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित आधारों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत) के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, करणी नगर, नान्ता, कोटा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 23.12.2020 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, मुडियाखेडा, बारां से वर्तमान पदस्थापन स्थान पर किया गया। जहां अपीलार्थी ने दिनांक 24.12.2020 (अनुलग्नक–4) को कार्यभार ग्रहण किया था। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.09.2021 (अनुलग्नक–5) के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 का स्थानान्तरण कार्यालय संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी, कोटा संभाग से राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, बायतू स्टेशन, बायतू, बाडमेर किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 11.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, बायतू स्टेशन, बायतू, बाडमेर निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 के स्थान पर किया गया तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर किया गया। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी को दिनांक 13.09.2022 (अनुलग्नक–2) को कार्यमुक्त कर दिया गया। आलोच्य आदेश बिना किसी प्रशासनिक अत्यावश्यकता के ईर्ष्या एवं द्वेष की भावनावश निजी प्रत्यर्थी

संख्या–4 को समंजित करने के आशय से जारी किया गया है, जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डॉ॰ अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य में प्रतिपादित अवधारणा के विपरीत है। अपीलार्थी को स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय किया गया है, जबकि निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को यात्रा भत्ता एवं योगकाल नहीं दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर किया गया है, जबकि अपीलार्थी द्वारा स्थानान्तरण हेतु कोई अनुरोध नहीं किया गया। अपीलार्थी द्वारा 18 माह की अल्पावधि में दो बार स्थानान्तरण किए जाने पर अपीलार्थी ने इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा रामेश्वर प्रसाद गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य नामक एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 10827/2015 में पारित निर्णय दिनांक 30.07.2015 का उद्धरण देकर ऐसे अल्पावधि में किए गए स्थानान्तरण को अनुचित माना है तथा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देश दिनांक 01.06.2013 के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 11.09.2022 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 13.09.2022 (अनुलग्नक–2) को अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को निरंतर वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत) के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, करणी नगर, नान्ता, कोटा में कार्य करने दिया जावे।

हमने अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता को अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 11.09.2022 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है। आलोच्य आदेश में प्रत्यर्थी संख्या–4 का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर किए जाने मात्र से समंजन (Accommodation) प्रमाणित नहीं होता है। आलोच्य आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। अपीलार्थी को वर्तमान स्थल पर लगभग दो वर्ष का समय हो गया है। अपीलार्थी को टीए/डीए देय किया गया है तथा आदेश में किसी प्रकार की दुर्भावाना की स्थिति नहीं है। अतः आलोच्य आदेश में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है। अतः अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज योग्य होने के कारण अपील अपीलार्थी एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक.....को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(एम.एस.काला)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य